



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 24.11.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

थाना मझगाई पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सुखदेव उर्फ नेता पुत्र डोरालाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मझगाई के नेतृत्व में आज दिनांक 24.11.2025 को थाना मझगाई पुलिस द्वारा, मु0सं0 16239-09 अ0सं0 1705-06 धारा 2,9,27,29,31,35(6),39,49ए,51 वन अधिनियम में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सुखदेव उर्फ नेता पुत्र डोरालाल निवासी गुलरा भगवन्तनगर थाना मझगाई जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुखदेव उर्फ नेता पुत्र डोरालाल निवासी गुलरा भगवन्तनगर थाना मझगाई जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम

- उनी0 जगदीश थाना मझगाई जनपद खीरी
- का0 अजीत सिंह थाना मझगाई जनपद खीरी

**थाना पलिया पुलिस द्वारा, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व नेपाली नागरिकों के साथ लूट की घटना में
संलिप्त गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25000/- के ईनामियां अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष पलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 24.11.2025 को थाना पलिया पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत पंजीकृत मु0अ0सं0 416/25 धारा 2ख(ii)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट व मु0अ0सं0 440/25 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस से संबंधित अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व नेपाली नागरिकों के साथ लूट की घटना में संलिप्त वांछित/ईनामियां अभियुक्त सतनाम उर्फ मन्ने सिंह पुत्र स्व0 सुखविन्दर सिंह निवासी मो0 कृष्णानगर कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सतनाम उर्फ मन्ने सिंह पुत्र स्व0 सुखविन्दर सिंह निवासी मो0 कृष्णानगर कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 278/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना पलिया खीरी।
- मु0अ0सं0 416/25 धारा 2ख(ii)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना पलिया खीरी।
- मु0अ0सं0 440/25 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना पलिया खीरी।

गिरफ्तार करने वाली टीम

- थानाध्यक्ष श्री पंकज त्रिपाठी, थाना पलिया जनपद खीरी।
- उ0नि0 श्री प्रेमनारायण सरोज, थाना पलिया जनपद खीरी।
- हे0का0 घनश्याम शर्मा, थाना पलिया जनपद खीरी।
- हे0का0 जितेन्द्र कुमार, थाना पलिया जनपद खीरी।
- का0 परीक्षित सैनी, थाना पलिया जनपद खीरी।
- का0 अजीत यादव, थाना पलिया जनपद खीरी।

अतुल त्रिपाठी

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 40 लीटर अवैध शराब बरामद कर 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **40 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **02 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **02 अभियोग** पंजीकृत किये गये।